न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 121/2017

उनवानी प्रकरण :–

जण्डैल पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम फौंदपुरा(कोलुआ) तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————— अपीलान्ट।

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2017 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 221/17 उनवानी राज0 सरकार बनाम जण्डैल अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री भगवती प्रसाद झा अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–22.11.2017

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 17.02.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1136 रकवा 1 बीघा 11 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को सूचना पत्र जारी किया तथा जवाबदेही व अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख 17.02.2017 नियत की। उक्त दिनांक को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी से बेदखल किये जाने, भू– राजस्व का 50 गुना शास्ति एंव एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये। जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध न्याय से परे बिना पत्रावली का अवलोकन किये पारित किया गया है जो काबिल निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई किये बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत है। विवादित खसरा नम्बर पर अपीलान्ट का कभी कोई सम्बन्ध सरोकार न तो रहा है न वर्तमान में है एंव किसी भी प्रकार का कोई अतिचार कर अनाधिकृत कब्जा नही किया गया है इस बाबत अपीलान्ट पृथक से शपथ–पत्र प्रस्तुत दिया है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 खारिज किया जावे।

जिला कलक्टर
धौलपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश दिनांक 17.02.17 तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है जो अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त कार्यवाही की है जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही रही। दिनांक 21.08.2017 उपतहसील कंचनपुर जाने पर निर्णय की जानकारी हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है फिर भी पृथक से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नही रहा है, ना ही वर्तमान में कब्जा है। ना ही भविष्य में कब्जा करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वयं पर हुई है। नोटिस तामील पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट बावजूद तामील के अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक को उपस्थित नही हुआ, उसे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर सुनवाई एवं जबाव व साक्ष्य पेश करने हेतु समय की माँग करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.02.2017 यथावत रखा जावे।

जिला कलक्टर
धौलपुर

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।
2. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट स्वंय पर हुई है। नोटिस प्राप्ति पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है, असत्य है, क्योंकि अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।
4. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि विवादित आराजी का कब्जा छोड़ दिया है, वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है, न ही भविष्य में कभी कब्जा करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट ने कब्जा हटा लिया है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत असल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर